



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Email – sanchi13a@gmail.com

!! कालीदेवी (रामा) क्षेत्र में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु प्रथम ई-निविदा सूचना !!

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर द्वारा इन्दौर दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र मिनि डेयरी संयंत्र झाबुआ से कालीदेवी (रामा) विपणन मार्ग पर साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण कार्य हेतु परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु ई-निविदा के माध्यम से **Online** परिवहन दरें आमंत्रित की जाती है। अनुबन्ध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। अनुबन्ध अवधि पूर्ण होने पर परिवहनकर्ता का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में आपसी सहमति से अनुबंध की समान शर्तों पर एक-एक वर्ष निरन्तर कर अवधि में दो वर्ष तक की वृद्धि की जावेगी। अधिक जानकारी के लिए आवेदन एम.पी.सी.डी.एफ. की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर देखा जा सकता है एवं निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य रु. **500/-** का भुगतान कर वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर **Online** आवेदन दिनांक **30.06.2025** तक जमा किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है तो सिर्फ उपरोक्त दर्शायी गई वेबसाइट पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य और कोई भी माध्यम से प्रकाशित नहीं होगा, अतः निविदाकर्ता निरन्तर उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करें। किसी भी एक अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

मिनि डेयरी संयंत्र झाबुआ से संबद्ध
विपणन मार्ग पर साँची दूध एवं दुग्ध
उत्पाद परिवहन हेतु परिवहनकर्ता की
नियुक्ति हेतु प्रथम ई-निविदा प्रपत्र
वर्ष 2025–2028



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Email – sanchi13a@gmail.com

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहन हेतु परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु प्रथम ई-निविदा की समय-सारणी

1	ई-निविदा (ऑनलाईन) क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 30.06.2025 दोपहर 12:00 बजे तक।
2	ई-निविदा (ऑनलाईन) जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 30.06.2025 दोपहर 12:00 बजे तक।
3	ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 01.07.2025 दोपहर 1:00 बजे तक।
4	ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य	रु. 500/- (रूपये पाँच सौ मात्र)
5	परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई-निविदा में जाने वाली ई.एम.डी. राशि	रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र)
6	परिवहनकर्ता कार्य हेतु "तकनीकी अर्हताएँ" का प्रारूप एवं सामान्य शर्तें।	प्रपत्र 01 एवं 02
7	परिवहनकर्ता हेतु मार्ग की जानकारी	प्रपत्र 03
8	परिवहनकर्ता परिचय एवं संक्षिप्त विवरण फार्म	प्रपत्र 04
9	फाइनेंशियल बिड	प्रपत्र 05
10	शपथ पत्र	प्रपत्र 06
11	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र 07

ई-निविदा फार्म भरते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- धरोहर राशि (EMD) केवल आनलाईन ही जमा की जावे।
- निविदाकर्ता द्वारा ई-निविदा में केवल चाहे गए आवश्यक दस्तावेजों ऑनलाईन क्रमबद्ध ही अपलोड किए जावें।
- उपरोक्त तिथियों में यदि शासकीय अवकाश घोषित होता है, तो आगामी कार्यालयीन दिवस में ई-निविदा खोली जावेगी।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. इन्दौर ।

महोदय,

साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांक को इन्दौर से प्रकाशित समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़कर समझ लिये गये हैं। यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत ई-निविदा दर स्वीकृत की जाती है, तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मेरे द्वारा ई.एम.डी. राशि रु. 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र) ऑनलाईन जमा कर दिए गए हैं।

तकनीकी अर्हताएँ

क्रं.	आवश्यक अर्हता	विवरण
1	निविदाकार/ट्रांसपोर्टर का नाम, परिचय एवं संक्षिप्त विवरण (संस्था/फर्म आदि होने की दशा में संस्था/फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें)	समस्त चाहे गए दस्तावेजों को ऑन लाईन प्रस्तुत करें।
2	पार्टनरशीप फर्म होने की दशा में पार्टनरशीप डीड संलग्न करें।	
3	निविदाकार का आधार नम्बर होना अनिवार्य है।	
4.	निविदाकार/फर्म/कंपनी की ओर से कोई अन्य बतौर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है तो इस बारे में फर्म/कंपनी की ओर से विधिवत अधिकार पत्र/पॉवर ऑफ एटार्नी संलग्न करना अनिवार्य है।	
5.	निविदाकार का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।	
6.	निविदाकार के पास वर्तमान में वाहन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नया वाहन खरीदने हेतु तदालय का शपथ-पत्र 100 रु. स्टाम्प पेपर पर संलग्न करें। संलग्न प्रपत्र क्रमांक 06 अवलोकन हेतु।	
7	निविदाकार के पास परिवहन हेतु स्वयं का वाहन मॉडल 2020 अथवा उसके बाद का पंजीकृत होने की स्थिति में वाहन के दस्तावेज एवं दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहन हेतु खाद्य एवं सुरक्षा के लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन का होना अनिवार्य है। जिसकी प्रति संलग्न करें।	
8	निविदाकार का जी.एस.टी. नम्बर की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।	
9	एमपीसीडीएफ के भंडार-क्रय नियम की उपकण्डिका क्रं. 8.04 के अनुसार "यदि किसी भी निविदाकर्ता को निविदा में भाग लेने के पूर्व किसी भी दुग्ध संघ/शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची में डाला गया हो तो वह निविदा हेतु अपात्र रहेगा। जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।" तदालय का शपथ पत्र रु. 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पर तकनीकी विवरण के साथ संलग्न करें। संलग्न प्रपत्र क्रमांक 06 अवलोकन हेतु।	
10	निविदाकर्ता के विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से कराना अनिवार्य है। जिसकी प्रति संलग्न करें।	
11	निविदाकार को निविदा भरते समय स्वयं की बैंक (जिसमें खाता संचालित हो) के बैंक प्रबंधन से Solvency Certificate प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।	

नोट :-

- 1) निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर स्वीकृत होने पर समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियाँ कार्यालय में उपलब्ध करना अनिवार्य है अन्यथा कार्य आवंटन निरस्त किया जावेगा।
- 2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ई-निविदा निरस्त कर ई.एम. डी. राशि राजसात की जा सकेगी।

साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवश्यक शर्तें :

1. आवेदक को ऑनलाईन राशि रु. रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र) अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
2. सफल निविदाकार की नियुक्ति पश्चात संघ में प्रतिभूति राशि पेटे रुपये 10,000/- नकद R.T.G.S. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में जमा करना होगा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ई.एम.डी. राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जावेगा। इस प्रकार कुल प्रतिभूति राशि रुपये 20,000/- (अक्षरी रुपये बीस हजार रुपये मात्र) होगी।
3. असफल निविदाकारों की ई.एम.डी. राशि एम.पी. ई-टेंडर्स के नियमानुसार वापस की जावेगी।
4. परिवहन कार्य हेतु स्वयं की 01 तापरोधी वाहन (2 इंच पफ युक्त) दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु (क्षमता 60 क्रेट) जिसके दस्तावेज प्रस्तुत करें। अन्यथा नये वाहन खरीदने की दशा में रु. 100/- के स्टाम्प पत्र पर नोटिराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार स्वयं के ही वाहन लगाना अनिवार्य होगा। वाहन मॉडल वर्ष 2020 अथवा उसके बाद के पंजीकृत होना चाहिए। वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से करवाकर कार्यालय में जमा करना होगी।
5. परिवहनकर्ता को **इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर** के नाम अकाउण्ट-पेयी रेखांकित पाँच चैक हस्ताक्षरयुक्त अग्रिम दुग्ध संघ को देना होगा। जिसका विशेष परिस्थितियों में दुग्ध संघ द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।
6. सफल निविदाकार को तापरोधी वाहन 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। कार्य आवंटन उपरान्त 15 दिवस में स्वयं के वाहन की व्यवस्था करना होगी। ऐसा न होने की दशा में निविदाकार का कार्यादेश निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लेकलिस्ट किया जाएगा। दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध ब्राण्डिंग/विनाईल स्वयं के व्यय से कराना होगी।
7. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकर्ता की अर्नेस्टमनी जब्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
8. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकर्ता को निर्धारित प्रतिभूति राशि संघ में जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा ई.एम.डी. जब्त कर ब्लेकलिस्ट किया जायेगा।
9. यह कि अनुबंधित अवधि में डीज़ल की दरों में जो वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार ही परिवहन दरों में भी वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जा सकेगी।
10. निविदा प्रपत्र के साथ आवेदनकर्ता द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती हैं, तो अर्नेस्टमनी (ई.एम.डी. राशि) राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही सम्बन्धित विपणन मार्ग की निविदा को निरस्त समझा जावेगा।
11. भण्डार क्रय नियम के अन्तर्गत केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता से ही नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जायेगा।
12. विपणन मार्गों पर प्रदाय की जाने वाली भरी क्रेटों एवं वापसी खाली क्रेटों व लीकेज की सम्पूर्ण जवाबदारी निविदाकार की रहेगी।

13. मिनि डेयरी संयंत्र झाबुआ से संबंध विपणन परिवहन मार्गों पर वास्तविक संचालन व्यय से कम दरें प्राप्त होने पर निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दरें/ई-निविदा निरस्त की जावेगी।
14. निविदा स्वीकृती की स्थिति में सफल निविदाकर्ता को संघ के साथ निर्धारित प्रपत्र अनुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पत्र राशि रुपये 1,000/- पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
15. किसी भी विपणन मार्ग की ई-निविदा को बिना कारण बताते हुए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
16. निविदाकर्ता/निविदा दरों में वर्तमान डीजल दरों एवं मार्गों में पड़ने वाले टोल टेक्स को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। आवेदन अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसका प्रभाव परिवहनकर्ता को उनके द्वारा प्रस्तुत परिवहन दर पर आनुपातिक रूप से कर दिया जावेगा तथा भविष्य में अनुबंधित मार्गों पर खुलने वाले टोल टेक्स का भुगतान हेतु निर्णय करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर दुग्ध संघ को होगा।
17. निविदा स्वीकृति के उपरान्त परिवहनकर्ता को कार्य अवधि तीन वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि में एक-एक वर्ष कर दो बार की वृद्धि आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
18. कार्य आदेश से पूर्व सभी औपचारिकताएँ निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रतिभूति राशि भी राजसात की जा सकेगी।
19. निविदाकर्ता का संबंध अध्यक्ष/संचालक मण्डल के सदस्यों, दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है एवं किसी भी दुग्ध संघ द्वारा ब्लेकलिस्ट नहीं किया गया हो यह कथन रु. 100 के स्टाम्प पत्र पर नोटिफाईड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि उपरोक्त दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पायी जाती है, तो आवंटित कार्य निरस्त कर जमा ई.एम.डी./प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लेकलिस्ट की कार्यवाही की जावेगी।
20. ई-निविदा में प्राप्त परिवहन दर समान आने पर लॉटरी पद्धति से निविदाकार का चयन किया जावेगा।
21. परिवहनकर्ता द्वारा भेजा जाने वाला वाहन यदि रास्ते में खराब होता है तो परिवहनकर्ता का प्रमुख दायित्व रहेगा कि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। अन्यथा सम्पूर्ण हानि की वसूली उससे की जाएगी।
22. निविदा प्रपत्र के साथ आपके विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो, जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से बनाकर प्रस्तुत करें।
23. प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। दुग्ध संयंत्र डाक से दूध एवं दुग्ध उत्पाद की चोरी के किसी भी तरह के प्रकरण में पकड़े गए दूध एवं दुग्ध उत्पाद की मूल्य राशि का 100 गुना अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
24. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त इंसुलेटेड (तापरोधी) वाहनों की संघ के निर्धारित मापदण्ड अनुसार समय-समय पर वाहनो का इंसुलेशन गठित समिति द्वारा चेक किया जावेगा। यदि निर्धारित मापदण्ड अनुसार इंसुलेशन नहीं पाया जाता है तो परिवहनकर्ता का आवेदन निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर परिवहनकर्ता को ब्लेकलिस्टेड करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर दुग्ध संघ को होगा।
25. निविदा ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।

26. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ, तो उसे मध्यस्थता **(Arbitrator)** के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु **(Arbitrator)** प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ भोपाल के समक्ष रखा जाएगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
27. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निविदाकर्ता द्वारा यदि कार्य में अनियमितता की जाती है तो एक माह पूर्व नोटिस देकर कार्य से पृथक किया जावेगा।
28. **तापरोधी वाहनों में 2 इंच पफ का इंसुलेशन होना अनिवार्य है।** विशेषज्ञ समिति इसकी जाँच करेगी एवं संतोषजनक पाये जाने पर ही वाहन सेवा में मान्य किए जाएँगे। ऐसा न हो पर निविदा निरस्त कर प्रतिभूति जब्त कर ब्लेकलिस्ट किया जाएगा।
29. अनुबंधित वाहन पर **G.P.S.** लगाया जाना अनिवार्य होगा, जिसका ट्रेकिंग नियंत्रण दुग्ध संघ को सौंपना होगा।
30. वाहनों की फिटनेस **R.T.O.** से सत्यापित कराके दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा।
31. निविदाकर्ता को प्रतिनिधि भेजने की दशा में प्रतिनिधि को इस निविदा हेतु अपना अधिकार पत्र निविदाकर्ता से प्रमाणित कराकर आवेदन के समय प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा ऐसे निविदाकर्ता की आवेदन जिनके द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया जावेगा उनकी आवेदन मान्य नहीं की जावेगी।
32. परिवहनकर्ता के वाहन चालक वाहनों में हो रहे दूध एवं दुग्ध उत्पाद लोडिंग के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि दूध हर तरह से अर्थात् गुणवत्ता, शीतलीकृत, तापमान, लीकेज, वजन, क्रेट में निर्धारित संख्या पैकेट आदि से अच्छा है इसके पश्चात् दुग्ध संघ किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
33. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निविदाकर्ता द्वारा यदि मार्ग पर चलने वाली वाहन को बंद करना चाहते हैं तो 03 माह पूर्व लिखित में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
34. निविदा में उल्लेखित दस्तावेजों/लाइसेंस आदि के अतिरिक्त भविष्य में यदि शासन द्वारा जी.एस. टी. अथवा अन्य दस्तावेज/लाइसेंस/कानून प्रभावशील किये जाते हैं तो ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराने होंगे/पूर्ण रूपेण पालन करना होगा।
35. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर दुग्ध संघ द्वारा आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जाएगी तथा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कार्य आवंटन निरस्त करते हुए सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि जप्त कर निविदाकार को ब्लेकलिस्ट किया जावेगा।

मेरे द्वारा साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहनकर्ता की निविदा हेतु समस्त शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 35 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता/करती हूँ एवं मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमती देता/देती हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

विपणन मार्ग की जानकारी

:: मिनि डेयरी संयंत्र झाबुआ से सम्बद्ध विपणन परिवहन मार्ग ::

क्रं.	विपणन मार्ग का नाम	दूरी अनुमानित (आना जाना कि.मी. में)	मार्ग पर प्रदाय क्रेटों की संख्या (अनुमानित)	दूध की मात्रा अनुमानित (ली.)	परिवहनकर्ता द्वारा तापरोधी वाहन हेतु भरी जाने वाली दर रूपये प्रतिट्रीप (समस्त कर सहित)
1	मिनि डेयरी संयंत्र झाबुआ से सम्बन्ध कालीदेवी (रामा) विपणन क्षेत्र में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण।	30 KM	60	720	

❖ साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहन हेतु परिवहनकर्ता का संक्षिप्त परिचय एवं विवरण ❖

पासपोर्ट
साईज फोटो
चस्पा करे

1. निविदाकर्ता का नाम ■ _____
2. पिता/पति का नाम ■ _____
3. जाति ■ _____
4. स्थाई पता ■ _____
(प्रमाण सहित) _____
5. वर्तमान व्यवसाय का पता ■ _____

- (अ) दूरभाष नं. ■
- (ब) मोबाईल नं. ■
6. शैक्षणिक योग्यता ■ _____
7. निविदा/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनर-
शिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। ■ _____

8. वर्तमान व्यवसाय ■ _____

9. वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर (टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न करें) ■ _____
10. वित्तीय स्थिति(बैंक खाता नं.) ■ _____
- (अ) चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा। _____

- (ब) बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं में जमा राशि। _____
11. धरोहर राशि। ■ रु.— — — — —

दिनांक —

आवेदक के हस्ताक्षर

पुरा नाम

फाइनेंशियल बिड (प्रारूप)

मिनि डेयरी संयंत्र झाबुआ से सम्बद्ध विपणन मार्ग पर केवल दूध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहन पर समस्त करों-व्ययों/टोल टैक्स सहित दर प्रस्तुत करें :-

क्रं.	विपणन मार्ग का नाम	दूरी अनुमानित (आना जाना कि.मी. में)	मार्ग पर प्रदाय क्रेटों की संख्या (अनुमानित)	दूध की मात्रा अनुमानित (ली.)	परिवहनकर्ता द्वारा तापरोधी वाहन हेतु भरी जाने वाली दर रूपये प्रतिट्रीप (समस्त कर सहित)
1	मिनि डेयरी संयंत्र झाबुआ से सम्बन्ध कालीदेवी (रामा) विपणन क्षेत्र में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण।	30 KM	60	720	

नोट :-

- उपरोक्त विपणन मार्गों हेतु परिवहन दरें केवल प्रतिट्रीप में तापरोधी वाहन हेतु ऑनलाईन ही प्रस्तुत की जावे, अन्य आधार पर दरें प्राप्त होने की दशा में ई-निविदा निरस्त की जावेगी।
- परिवहन दर वास्तविक संचालन व्यय से कम होने पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अमान्य किया जावेगा।

हस्ताक्षर/सील
हैसियत

(रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल नोटराइज्ड स्टॉम्प पे प्रस्तुत करें)

1. “यह कि, मुझे यदि किसी भी निविदा मे भाग लेने के पूर्व किसी भी दुग्ध संघ/शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची मे डाला गया हो तो निविदा हेतु मैं अपात्र रहूँगा। जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय मेरी निविदा निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।”
2. परिवहन कार्य हेतु स्वयं की 01 तापरोधी वाहन (2 इंच पफ युक्त) दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु (क्षमता 60 क्रेट) का वाहन मॉडल वर्ष 2020 अथवा उसके बाद का पंजीकृत होकर दूध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध करूँगा।

यदि उपरोक्त मे से कोई भी जानकारी भविष्य में गलत पाई जाती है, तो दुग्ध संघ प्रबंधन मुझे/हमें आवंटित निविदा निरस्त कर मुझे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा। इस हेतु हम अपनी सहमति देते है।

गवाह :

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

(1) नाम
पता
आधार कार्ड नं.
मोबाईल नम्बर

नाम
पता
मोबाईल नम्बर

(2) नाम
पता
आधार कार्ड नं.
मोबाईल नम्बर

अनुबंध ६०

यह अनुबंध आज दिनांक..... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, इन्दौर, जिन्हें आगे प्रथमपक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं श्री/श्रीमती/कु./मेसर्स पता— जिन्हें मिनि डेयरी संयंत्र झाबुआ से सम्बन्ध कालीदेवी (रामा) विपणन क्षेत्र में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण कार्य हेतु परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा जारी ई-निविदा क्रमांक में स्वीकृत परिवहन दर रुपये/- प्रतिट्रीप मार्ग की दूरी 30 किलोमीटर (तापरोधी वाहन की क्षमता 60 क्रेट) द्वितीयपक्ष नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तों पर साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहनकर्ता कार्य हेतु निष्पादित किया जा रहा है :-

1. आवेदक को ऑनलाईन राशि रु. रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र) अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
2. सफल निविदाकार की नियुक्ति पश्चात संघ में प्रतिभूति राशि पेटे रुपये 10,000/- नकद R.T.G.S. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में जमा करना होगा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ई.एम.डी. राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जावेगा। इस प्रकार कुल प्रतिभूति राशि रुपये 20,000/- (अक्षरी रुपये बीस हजार रुपये मात्र) होगी।
3. असफल निविदाकारों की ई.एम.डी. राशि एम.पी. ई-टेण्डर्स के नियमानुसार वापस की जावेगी।
4. परिवहन कार्य हेतु स्वयं की 01 तापरोधी वाहन (2 इंच पफ युक्त) दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु (क्षमता 60 क्रेट) जिसके दस्तावेज प्रस्तुत करें। अन्यथा नये वाहन खरीदने की दशा में रु. 100/- के स्टाम्प पत्र पर नोटिफाईड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार स्वयं के ही वाहन लगाना अनिवार्य होगा। वाहन मॉडल वर्ष 2020 अथवा उसके बाद के पंजीकृत होना चाहिए। वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से करवाकर कार्यालय में जमा करना होगी।
5. परिवहनकर्ता को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के नाम अकाउण्ट-पेयी रेखांकित पाँच चैक हस्ताक्षरयुक्त अग्रिम दुग्ध संघ को देना होगा। जिसका विशेष परिस्थितियों में दुग्ध संघ द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।
6. सफल निविदाकार को तापरोधी वाहन 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। कार्य आवंटन उपरान्त 15 दिवस में स्वयं के वाहन की व्यवस्था करना होगी। ऐसा न होने की दशा में निविदाकार का कार्यादेश निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लेकलिस्ट किया जाएगा। दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध ब्राण्डिंग/विनाईल स्वयं के व्यय से कराना होगी।
7. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकर्ता की अर्नेस्टमनी जब्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
8. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकर्ता को निर्धारित प्रतिभूति राशि संघ में जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा ई.एम.डी. जब्त कर ब्लेकलिस्ट किया जायेगा।
9. यह कि अनुबंधित अवधि में डीज़ल की दरों में जो वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार ही परिवहन दरों में भी वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जा सकेगी।

10. निविदा प्रपत्र के साथ आवेदनकर्ता द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती हैं, तो अर्नेस्टमनी (ई.एम.डी. राशि) राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही सम्बन्धित विपणन मार्ग की निविदा को निरस्त समझा जावेगा।
11. भण्डार क्रय नियम के अन्तर्गत केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता से ही नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जायेगा।
12. विपणन मार्गों पर प्रदाय की जाने वाली भरी क्रेटों एवं वापसी खाली क्रेटों व लीकेज की सम्पूर्ण जवाबदारी निविदाकार की रहेगी।
13. मिनि डेयरी संयंत्र झाबुआ से संबद्ध विपणन परिवहन मार्गों पर वास्तविक संचालन व्यय से कम दरें प्राप्त होने पर निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दरें/ई-निविदा निरस्त की जावेगी।
14. निविदा स्वीकृती की स्थिति में सफल निविदाकर्ता को संघ के साथ निर्धारित प्रपत्र अनुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पत्र राशि रुपये 1,000/- पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
15. किसी भी विपणन मार्ग की ई-निविदा को बिना कारण बताते हुए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
16. निविदाकर्ता/निविदा दरों में वर्तमान डीजल दरों एवं मार्गों में पड़ने वाले टोल टेक्स को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। आवेदन अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसका प्रभाव परिवहनकर्ता को उनके द्वारा प्रस्तुत परिवहन दर पर आनुपातिक रूप से कर दिया जावेगा तथा भविष्य में अनुबंधित मार्गों पर खुलने वाले टोल टेक्स का भुगतान हेतु निर्णय करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर दुग्ध संघ को होगा।
17. निविदा स्वीकृति के उपरान्त परिवहनकर्ता को कार्य अवधि तीन वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि में एक-एक वर्ष कर दो बार की वृद्धि आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
18. कार्य आदेश से पूर्व सभी औपचारिकताएँ निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रतिभूति राशि भी राजसात की जा सकेगी।
19. निविदाकर्ता का संबंध अध्यक्ष/संचालक मण्डल के सदस्यों, दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है एवं किसी भी दुग्ध संघ द्वारा ब्लेकलिस्ट नहीं किया गया हो यह कथन रु. 100 के स्टाम्प पत्र पर नोटिफाईड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि उपरोक्त दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पायी जाती है, तो आवंटित कार्य निरस्त कर जमा ई.एम.डी./प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लेकलिस्ट की कार्यवाही की जावेगी।
20. ई-निविदा में प्राप्त परिवहन दर समान आने पर लॉटरी पद्धति से निविदाकार का चयन किया जावेगा।
21. परिवहनकर्ता द्वारा भेजा जाने वाला वाहन यदि रास्ते में खराब होता है तो परिवहनकर्ता का प्रमुख दायित्व रहेगा कि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। अन्यथा सम्पूर्ण हानि की वसूली उससे की जाएगी।
22. निविदा प्रपत्र के साथ आपके विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो, जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से बनाकर प्रस्तुत करें।
23. प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। दुग्ध संयंत्र डाक से दूध एवं दुग्ध उत्पाद की चोरी के किसी भी तरह के प्रकरण में पकड़े गए दूध एवं दुग्ध उत्पाद की मूल्य राशि का 100 गुना अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।

24. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त इंसुलेटेड (तापरोधी) वाहनों की संघ के निर्धारित मापदण्ड अनुसार समय-समय पर वाहनो का इंसुलेशन गठित समिति द्वारा चेक किया जावेगा। यदि निर्धारित मापदण्ड अनुसार इंसुलेशन नहीं पाया जाता है तो परिवहनकर्ता का आवेदन निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर परिवहनकर्ता को ब्लेकलिस्टेड करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर दुग्ध संघ को होगा।
25. निविदा ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।
26. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ, तो उसे मध्यस्थता **(Arbitrator)** के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु **(Arbitrator)** प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ भोपाल के समक्ष रखा जाएगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
27. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निविदाकर्ता द्वारा यदि कार्य में अनियमितता की जाती है तो एक माह पूर्व नोटिस देकर कार्य से पृथक किया जावेगा।
28. **तापरोधी वाहनों में 2 इंच पफ का इंसुलेशन होना अनिवार्य है।** विशेषज्ञ समिति इसकी जाँच करेगी एवं संतोषजनक पाये जाने पर ही वाहन सेवा में मान्य किए जाएँगे। ऐसा न हो पर निविदा निरस्त कर प्रतिभूति जब्त कर ब्लेकलिस्ट किया जाएगा।
29. अनुबंधित वाहन पर **G.P.S.** लगाया जाना अनिवार्य होगा, जिसका ट्रेकिंग नियंत्रण दुग्ध संघ को सौंपना होगा।
30. वाहनों की फिटनेस **R.T.O.** से सत्यापित कराके दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा।
31. निविदाकर्ता को प्रतिनिधि भेजने की दशा में प्रतिनिधि को इस निविदा हेतु अपना अधिकार पत्र निविदाकर्ता से प्रमाणित कराकर आवेदन के समय प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा ऐसे निविदाकर्ता की आवेदन जिनके द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया जावेगा उनकी आवेदन मान्य नहीं की जावेगी।
32. परिवहनकर्ता के वाहन चालक वाहनों में हो रहे दूध एवं दुग्ध उत्पाद लोडिंग के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि दूध हर तरह से अर्थात् गुणवत्ता, शीतलीकृत, तापमान, लीकेज, वजन, क्रेट में निर्धारित संख्या पैकेट आदि से अच्छा है इसके पश्चात् दुग्ध संघ किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
33. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निविदाकर्ता द्वारा यदि मार्ग पर चलने वाली वाहन को बंद करना चाहते हैं तो 03 माह पूर्व लिखित में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
34. निविदा में उल्लेखित दस्तावेजों/लाइसेंस आदि के अतिरिक्त भविष्य में यदि शासन द्वारा जी.एस. टी. अथवा अन्य दस्तावेज/लाइसेंस/कानून प्रभावशील किये जाते हैं तो ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराने होंगे/पूर्ण रूपेण पालन करना होगा।
35. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर दुग्ध संघ द्वारा आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जाएगी तथा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कार्य आवंटन निरस्त करते हुए सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि जप्त कर निविदाकार को ब्लेकलिस्ट किया जावेगा।

उपरोक्त शर्तों पर दोनों पक्षों की सहमति से यह अनुबंध बिना किसी दबाव एवं पूर्ण होश-हवास में इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के कार्यालय में निम्न गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया जो दोनों पक्षों को मान्य है।

मैं पिता/पति/पत्नि.....साँची दूध एवं दुग्ध
उत्पाद परिवहनकर्ताअपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमती.....
..... को घोषित करता/ करती हूँ।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
.....

➤ गवाह ⇐

1- हस्ताक्षर

नाम — — — — —

पिता — — — — —

पता — — — — —

— — — — —

— — — — —

2- हस्ताक्षर

नाम — — — — —

पिता — — — — —

पता — — — — —

— — — — —

— — — — —